भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4432

दिनांक 19 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

.....

अटल भू-जल योजना के अंतर्गत कवरेज

4432. श्री बिप्लब कुमार देबः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में भागीदार राज्यों और ग्राम पंचायतों में अटल भू-जल योजना के राज्य और ग्राम पंचायत-वार मुख्य उद्देश्य और वर्तमान कवरेज क्या है;

(ख) जल शक्ति अभियान तथा संबंधित पहलों के अंतर्गत जल निकायों की गणना, जियो-टैगिंग और वर्गीकरण में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) देश भर में, विशेषकर त्रिपुरा में सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भू-जल निगरानी, सतह जल मूल्यांकन और जल निकायों के मानचित्रण के लिए वर्तमान में अभिनियोजित किए जा रहे डिजिटल और प्रौद्योगिकीय उपकरणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रणालियों के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग जल संरक्षण उपायों की योजना, निर्णय लेने और कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए किस प्रकार किया जाता है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): अटल भूजल योजना, जो समुदाय आधारित एक सहभागी भूजल प्रबंधन योजना है, जिसे सात राज्यों अर्थात् - गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश - की 8,203 जल की कमी वाले प्राथमिक ग्राम पंचायतों में एक पायलट योजना के रूप में कार्यान्वित किया गया था। अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य समुदाय की भागीदारी के माध्यम से और मांग-पक्ष के उपायों पर ध्यान केंद्रित करके, चुने हुए राज्यों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इस संसाधन की निरंतरता सुनिश्चित करना था। इस योजना का लक्ष्य संस्थागत और शासन ढांचे को मजबूत कर एवं राज्यों को जमीनी स्तर पर भूजल संरक्षण के उपाय लागू करने के लिए प्रोत्साहित करके इस उद्देश्य को प्राप्त करना था। इस योजना के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों की राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ख): जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन' (जेएसए: सीटीआर) अभियान के तहत, एक मुख्य पहल जल निकायों की गणना, जियो-टैगिंग और उनकी सूची तैयार करना है ताकि वैज्ञानिक जल संरक्षण योजनाएँ बनाने में आसानी हो। ज़िला कलेक्टरों और मजिस्ट्रेटों से अनुरोध किया गया है कि वे पुराने राजस्व रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी (एनआरएसए) से प्राप्त रिमोट सेंसिंग डेटा और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जल निकायों की गणना करें; साथ ही, उनकी सीमाएँ निर्धारित करें, संरचनाओं की जियो-टैगिंग

करें और राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र (एनडब्ल्यूआईसी) तथा राज्य जल संसाधन सूचना प्रणालियों से प्राप्त डेटा को एकीकृत करें। यह दृष्टिकोण डेटा-आधारित वैज्ञानिक संरक्षण योजनाएँ विकसित करने में सहायक सिद्ध होता है।

इसके अलावा, इस दिशा में एक अहम पहल जीआईएस-आधारित सब-पोर्टल "जल धरोहर" का विकास है, जो 1 नवंबर, 2023 से भारत-डब्ल्यूआरआईएस पोर्टल के तहत अपने बीटा वर्जन में काम कर रहा है। यह पोर्टल पूरे भारत में जल निकायों का एक एकीकृत और जियो-टैग किया हुआ डेटाबेस प्रस्तुत करता है और इसमें जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, लघु सिंचाई सांख्यिकी, जल निकायों की पहली गणना और राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र (एनडब्ल्यूआईसी) जैसे कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों और स्रोतों से प्राप्त डेटा शामिल है। यह जल संसाधनों के बारे में जागरूकता पैदा करने, उनकी योजना बनाने और उनकी निगरानी करने के लिए एक विज़ुअल और स्थानिक उपकरण के तौर पर काम करता है।

(ग) और (घ): जल के राज्य का विषय होने के कारण, केन्द्र सरकार विभिन्न तकनीकी, वित्तीय और नीति-स्तरीय कार्यकलापों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को संपूरित करके केवल एक सहायक की भूमिका निभाती है।

इस दिशा में, सरकार न केवल देश के जल संसाधनों–जिसमें त्रिपुरा राज्य भी शामिल है–की मैपिंग और निगरानी, बल्कि सटीक नीतिगत हस्तक्षेपों की योजना बनाने और योजनाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए भी, अत्याधुनिक डिजिटल और प्रौद्योगिकीय उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करती है। इनमें से कुछ उल्लेखनीय उपकरण निम्नलिखित हैं:

i. राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम (नैक्यूम): केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) नैक्यूम को लागू कर रहा है, जिसमें जलभृतों के मानचित्रण हेतु, पुनर्भरण क्षेत्र को चिन्हित करने और स्रोतों की निरंतरता का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग (आरएस) और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले उप-सतही डाटा प्राप्त करने के लिए कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में हेलीबोर्न भूभौतिकीय सर्वेक्षणों का उपयोग किया जा रहा है। नैक्यूम के चरण 1.0 के तहत, देश के 25 लाख वर्ग किलोमीटर के संपूर्ण मानचित्रण योग्य क्षेत्र जिसमें त्रिपुरा राज्य का 6,757 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी शामिल है, की मैपिंग की जा चुकी है और उसे ज़िला-स्तरीय जलभृत मानचित्रों के साथ-साथ उपयुक्त प्रबंधन योजनाओं को राज्य/ज़िला प्रशासनों तक पहुँचा दिया गया है।

ii. रियल-टाइम मॉनिटरिंग: सीजीडब्ल्यूबी, टेलीमेट्री प्रणाली से लैस लगभग 23,000 डिजिटल वॉटर लेवल रिकॉर्डर (डीडब्ल्यूएलआर) के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से भूजल स्तर की रियल-टाइम मॉनिटरिंग करता है। यह नेटवर्क भूजल स्तरों से जुड़े लगभग रियल-टाइम डाटा को एक सेंट्रल सर्वर तक भेजने में मदद करता है, जिससे अत्यधिक केंद्रित संरक्षण योजनाएँ बनाने में सहायता मिलती है। त्रिपुरा में 14 डीडब्ल्यूएलआर लगाए गए हैं।

iii. वेब-आधारित प्लेटफ़ॉर्म: सीजीडब्ल्यूबी ने 'भारत-भूजल संसाधन आंकलन प्रणाली' (इन-ग्रेस) विकसित किया है। यह एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है जो पूरे देश में–त्रिपुरा सहित–भूजल संसाधनों के आकलन के लिए एक मानकीकृत प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है। इस प्रकार का डाटा मनरेगा, अटल

भूजल योजना, जल शक्ति अभियान आदि जैसी योजनाओं को लागू करने के लिए एक वैज्ञानिक आधार तैयार करने का काम करता है।

iv. जेएसए: सीटीआर डैशबोर्ड: यह एक केंद्रीय डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे इस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा 'जल शक्ति अभियान' (जेएसए) के अंतर्गत 'कैच द रेन' (सीटीआर) अभियान की निगरानी, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए बनाया गया है। यह जल संरक्षण गतिविधियों में हुई प्रगति पर नज़र रखने के लिए एक डेटा संग्रह और विश्लेषण केंद्र के रूप में काम करता है और वैज्ञानिक जल संरक्षण योजनाएँ बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यह डैशबोर्ड दिखाता है कि दिनांक 17.03.2026 तक, देश भर में जेएसए अभियान के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन कार्य शुरू किए गए हैं, जिनमें से 1,62,978 कार्य त्रिपुरा में हुए हैं।

v. जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) डैशबोर्ड: जेएसए की गति को और मज़बूत करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2024 में 'जल संचय जन भागीदारी' (जेएसजेबी) पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य देश में वर्षा जल संचयन को एक जन आंदोलन बनाना है। साथ ही, इस पहल के तहत बनाए गए पुनर्भरण संरचनाओं की प्रभावी निगरानी के लिए, 'जल संचय जन भागीदारी डैशबोर्ड' नामक एक विशेष डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म विकसित किया गया है और इसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है। सभी संबंधित हितधारकों के लिए यह आवश्यक है कि वे बनाए गए हर पुनर्भरण संरचनाओं को उसकी फ़ोटो, जियो-टैग और अन्य विवरणों के साथ इस प्लेटफ़ॉर्म पर दर्ज करें। डैशबोर्ड के अनुसार, अब तक देश भर में 46 लाख से अधिक ढांचों पर काम शुरू किया जा चुका है, जिनमें से 58,923 ढांचे त्रिपुरा में हैं।

vi. जलाशय स्तर और बाढ़ की निगरानी: 'फ्लड वॉच इंडिया' ऐप, जिसे केंद्रीय जल आयोग ने स्वयं विकसित किया है, बाढ़ के सटीक और समय पर पूर्वानुमान देने के लिए सैटेलाइट डाटा विश्लेषण, गणितीय मॉडलिंग और रियल-टाइम निगरानी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करता है। यह ऐप 592 बाढ़ निगरानी केंद्रों के बारे में जानकारी देता है और साथ ही देश के 150 प्रमुख जलाशयों में जल के भंडारण की स्थिति के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराता है।

vii. जीआईएस आधारित निगरानी: पीएमकेएसवाई-एसएमआई, आरआरआर, अटल भूजल योजना आदि के तहत सृजित विभिन्न सिंचाई/जल संरक्षण संरचनाएं की निगरानी जीआईएस आधारित अनुप्रयोगों और उपकरणों के माध्यम से की जाती है।

viii. सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग: मंत्रालय, त्रिपुरा सहित देश के जल संसाधनों की विभिन्न प्रकार की मैपिंग और निगरानी के लिए सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग करने हेतु, भास्करचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो-इन्फॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी-एन) एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अहमदाबाद जैसी एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है।

ix. इसके अलावा, मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं जैसे पीएमकेएसवाई, एनएमसीजी, अटल भूजल योजना, एमआई गणना आदि के डेटा के संग्रह और प्रसार तथा उनके प्रदर्शन की निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप आदि का व्यापक उपयोग किया जा रहा है।

<u>अनुलग्नक</u>

"अटल भू-जल योजना के अंतर्गत कवरेज" के संबंध में दिनांक 19.03.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 4432 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

अटल भूजल योजना के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	**राज्य**	**जिले**	**ब्लॉक**	**ग्राम पंचायतें**
1	गुजरात	6	36	1873
2	हरियाणा	14	36	1647
3	कर्नाटक	14	41	1199
4	मध्य प्रदेश	6	9	670
5	महाराष्ट्र	13	43	1133
6	राजस्थान	17	38	1132
7	उत्तर प्रदेश	10	26	549
कुल		**80**	**229**	**8203**
